राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 514/2025

नूर मोहम्मद खान **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्ववास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बींजाराम जाजडा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, ब्लॉक सहाडा, जिला भीलवाडा में पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 किलोमीटर दूर उप जिला चिकित्सालय, बायतू, बालोतरा जिला बाडमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहुत ही अल्प समय में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। इससे पूर्व अपीलार्थी को दिनांक 09.02.2024 को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर दिनांक 11.09.2024 को जयपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष एक अपील संख्या 2003/2024 प्रस्तुत की गई जिस पर अधिकरण के आदेश दिनांक 23.09.2024 द्वारा अन्तरिम स्थगन पारित किया गया जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.09.2024 को कार्यग्रहण किया था। उक्त कार्यग्रहण की दिनांक से मात्र 4 माह की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण उपरोक्त आलौच्य

आदेश के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर, ब्लॉक सहाडा, जिला भीलवाडा से उप जिला चिकित्सालय, बायतू, बालोतरा जिला बाडमेर में किया गया है। अपीलार्थी के बच्चे छोटे हैं जो भीलवाडा के विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं एवं वृद्ध माता–पिता के सार–सम्भाल की जिम्मेदारी भी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिवेदन भी उचित कार्यवाही किये जाने के निवेदन के साथ दिया गया, किन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य